**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE.**

**DIVISION BENCH: HON'BLE SHRI JUSTICE S.K.SETH AND**
**HON'BLE SHRI JUSTICE M.C.GARG**

**Criminal Appeal No.845/1999**

State of Madhya Pradesh, through
Special Police Establishment, Lokayukta,Ujjain

Vs.

Ram Singh Bodana

---

Shri Arvind Gokhale, learned counsel for the appellant-Lokayukta.

---

**J U D G M E N T**
**(Passed on this 30th day of November, 2012)**

**Per:M.C.Garg,J.**

This appeal has been filed by the State of Madhya Pradesh aggrieved of the judgment delivered by Special Judge, acquitting the respondent of the charges framed against him under Section 7, 13(1)(d) read with Section 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in S.T.No.3/98.

2. In brief the allegations of the prosecution is that on the date of incident, Auto-rickshaw bearing registration no.MP-13-B/1481of Devanand was driven by Shankarlal, which met with an accident. The vehicle was seized by Police Station Mahakal Ujjain. Devanand filed an application for Supurdhari before the Court of Chief Judicial Magistrate, Ujjain. Vide an order dated 30.07.1992, the Magistrate vide Ex.P-7 gave Supurdhari of the vehicle to Devanand. Devanand and Shankarlal placed this order before the accused, the Investigating officer of this case, who demanded in total Rs.500/-

(Rs.200/- for himself and Rs.300/- for Government Advocate). Shankarlal alongwith Devanand lodged a complaint Ex.P-2 before Lokayukta Police Establishment, Ujjain.

3. The report lodged by the complainant Shankarlal is Ex.P-2 which reads as under:-

शिकायत क. 1 दि. 31.7.97

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना
संभाग उज्जैन

विषय—रिश्वतखोर थानेदार पर कार्यवाही बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी आटोरिक्शा चलाकर अपनी जीविकोपार्जन करता हूं। विगत बुधवार को मेरे आटो क्र. **M.P. 13** बी**1481** की टककर एक स्कूटर से हो गयी थी। उक्त घटना का प्रकरण महाकाल थाने में दर्ज हुआ था। थानेदार बोडाना ने उक्त सिलसिले में आटो रिक्शा जब्त किया था। आटो मालिक देवानंद ने न्यायालय में आवेदन लगाकर आटो सुपुर्दगी का आदेश प्राप्त कर लिया था।

न्यायालय का आदेश लेकर 30 जुलाई की शाम 6 बजे जब हम महाकाल थाने पहुंचे तो वहां थानेदार बोडाना ने न्यायालय का आदेश अपने पास रख लिया व कहा कि गाड़ी छुड़वाने के 500 रूपये लगेंगे 300 सरकारी वकील के व 200 मेरे। मैंने कहा कि साहब मैं गरीब आदमी हूं इतने रू. नहीं ला सकता तो बोड़ाना सा. बोले कि कल शाम तक 200 रू. ले आना व्यक्ति वकील सा. के 2—4 दिन में दे देना।

श्रीमान् जी मैं थानेदार को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं उसके विरूद्ध सक्त कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

शंकरलाल
शंकरलाल नारायणसिंह
म.नं. 103/26
नरसिंहघाट, झुग्गी झोपड़ी,
उज्जैन

4. Further proceedings which were taken by the prosecution after the receipt of the complaint stands mentioned in paragraph 3 (b) and 3(c) of the judgment which are reproduced hereunder:-

> "3–अ/ अभियोजन की संक्षिप्त तथा सारतः इस प्रकार है कि देवानंद (अ.सा.3) के आटो रिक्शा एम.पी. 13–बी/1481 को शंकरलाल (अ.सा.2) घटना के दिनों में चला रहा था जिसका एक्सीडेंट हो जाने से थाना महाकाल उज्जैन के द्वारा रिक्शा जप्त किया गया। इस संबंध में देवानंद आदि के आवेदन करने पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन ने दिनांक 30.07.92 को प्रदर्श पी/7 का सुपुर्दगी आदेश प्रदान किया जिसमें मेकेनिकल जांच उपरांत यह रिक्शा आवेदक देवानंद को दिया जाना था। देवानंद और शंकर इस आदेश को लेकर आरोपी के पास गए जो कि इस मामले का अनुसंधानकर्ता था तो आरोपी ने आदेश रख लिया और शंकरलाल से यह कहा कि 200/– रूपये उसके तथा 300/– रूपये सरकारी वकील के इस तरह 500/– रूपये देने पर रिक्शा मिलेगा। शंकरलाल ने तब देवानंद के साथ जाकर लोकायुक्त पुलिस स्थापना, उज्जैन में संपर्क करके प्रदर्श पी/2 का शिकायत पत्र पेश किया जिस पर से तत्कालीन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक श्री लोहानी ने निरीक्षक श्री मसीह (अ.सा.7) को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया तथा आवेदन के सत्यापन के लिए एक टेप रिकार्डर शंकरलाल को दिया गया और सिपाही शिवकुमार (अ.सा.6) को साथ में भेजा गया ताकि शंकरलाल की आरोपी के साथ बातचीत टेप होकर पेश हो सके। शंकरलाल ने आरोपी से बातचीत तदनुसार टेप रिकार्डर लोकायुक्त पुलिस स्थापना में सिपाही शिवकुमार ने पेश किया जिसे सुना गया। तब कलेक्टर उज्जैन को विज्ञप्त अधिकारी प्रदान करने के लिये प्रदर्श पी/13 का आवेदन भेजा गया एवं श्री मसीह ने प्रदर्श पी/14 की प्राथमिकी दर्ज की।
>
> 3–ब/तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री अवधेश शर्मा (अ.सा.4) तथा प्रकाशचंद्र बोथरा (अ.सा.9) को कलेक्टर उज्जैन ने प्रदर्श पी/9 के आदेश से विज्ञप्त अधिकारी नियुक्त किया और दोपहर 12 बजे ये लोग श्री लोहानी के पास उपस्थित हुए, वहां इनका परिचय शंकरलाल से कराया गया। उन्होंने शंकरलाल से पूछताछ कर प्रदर्श पी/2 का सत्यापन किया और सत्यापन की टीप अंकित की। बातचीत का टेप भी सुना गया और बातचीत के अनुसार प्रदर्श पी/3 के दस्तावेज में लिखे गए एवं कैसेट को जप्त कर सीलबंद किया। शंकरलाल ने एक नोट 100/–रूपये और दो नोट 50/– रूपये के पेश किये जिन पर भृत्य मांगीलाल ने फिनाफ्थलीन पावडर लगाया और मुख्य आरक्षक श्री जैन ने शंकरलाल की तलाशी लेकर उसकी जेब खाली की और तब मांगीलाल ने नोट

शंकरलाल की जेब में रख दिया। उसे यह हिदायत दी गई कि वह बार–बार नोट को हाथ नहीं लगायेगा, पैसे देने के बाद किसी से हाथ नहीं मिलायेगा और पैसे देने के बाद बांये हाथ से इशारा करेगा। नोट के नंबर पंचनामा प्रदर्श पी/4 में अंकित किए गए एवं फिनाफ्थलीन के उपयोग के प्रदर्शन के लिए दो साफ गिलास सोडियम कार्बोनेट का घ ोल बनाकर एक में फरियादी और पंचो के हाथ धुलवाये तो घोल का रंग नहीं बदला, दूसरे में मांगीलाल के हाथ ध ुलवाये तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। मांगीलाल के हाथ धुलाये तो घोल को साफ शीशी में सीलबंद किया, जबकि सोडियम कार्बोनेट के सेम्पल की दो पुड़ियां, फिनाफ्थलीन पावडर के सेप्पल की दो पुड़ियां अलग–अलग सीलबंद की गई। प्रारंभिक कार्यवाही का कुल पंचनामा प्रदर्श पी/4 बनाया गया। और तब जीप से शंकरलाल, श्री शर्मा (अ.सा.4) और बोथरा (अ.सा.9), निरीक्षक मसीह (अ.सा.7), सिपाही विमलकुमार, चन्दरसिंह, शिवकुमार आदि थाना महाकाल के लिए रवाना हुए।

3–स/ थाने से कुछ दूर जीप को रूकवाकर शंकरलाल को संपर्क करने के लिए भेजा गया तो उसने लौटकर बताया कि आरोपी खाना खाने गया है और शाम को 5 बजे आयेगा। पांच बजे पुनः भेजा गया तो यह बताया गया कि आरोपी आठ, नौ बजे आयेगा। रात 9 बजे आरोपी थाने में घुसता दिखाई दिया तो फिर शंकरलाल को भेजा गया जिसने जाकर एवं वापस आकर निर्धारित इशारा किया तब सिपाही सच्चिदानंद और चन्दरसिंह ने जाकर आरोपी के हाथ कलाई के वहां पकड़ लिए। शंकरलाल ने आरोपी के मांगने पर पैसे दिए थे जो आरोपी ने बटुए में रखे थे, फिर ट्रेपपार्टी के सारे सदस्य अन्दर गए और अपना परिचय दिया तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल बनाए गये जिसके पहले गिलास में आरोपी के हाथ की अंगुलियां धुलवाई गईं तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, एक अन्य गिलास में श्री बोथरा के हाथ की अंगुलियां धुलवाई गईं तो घोल का रंग नहीं बदला। इन सभी घोलों को पृथक–पृथक दो साफ शीशीयों में सीलबंद किया गया तथा फिर श्री बोथरा ने आरोपी की पेंट की जेब एक पर्स निकाला जिसमें शंकरलाल के द्वारा दिये गये रूपये 200/– के अलावा भी पैसे थे तब 200/– रूपये के विभिन्न नोटों के के नंबरों का मिलान प्रारंभिक पंचनामे से किया गया तथा नोटों को रखकर लिफाफे में सीलबंद किया गया। फिर एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल बनवाकर श्री बोथरा के हाथ की अंगुलियों को धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इसी प्रकार एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में जप्त पर्स को उलटवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया और इन दोनों घोलों को भी साफ शीशीयों में सीलबंद किया। सारी कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी/5 का बनाया गया तथा सुपुर्दगी आदेश प्रदर्श पी/7 जप्त कर प्रदर्श पी/6 का

> पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी/10 का पंचनामा बनाया गया।"

5. As far as the respondent is concerned, it was his case that he has been falsely implicated. He led no defence evidence. The trial Court after examining the evidence which came on record found number of infirmities in the proceedings undertaken by the appellant and came to the conclusion that there was doubt in the story of the prosecution and thus acquitted the respondent.

6. Primarily, the Special Judge while acquitting the respondent of the charges framed against him has not only noticed omission and commission of the statement of the complainant but also found lot of infirmities about the samples having been sent to the FSL and the report of the FSL besides other infirmities.

7. In this case leave to file an appeal was granted vide orders passed by this Court on July 16, 1999. Notice was also sent to the respondent, but nobody appeared for the respondent to oppose the appeal filed by the appellant.

8. We have gone through the record. As per Ex.P-2, the FIR of this case was registered at the instance of Shankarlal who appeared as PW-2. In this case, before registration of the FIR, a tape recorder was also given to the complainant. However, the tape recorder version has not been found to be in order by the trial Judge. The notes which are allegedly passed over to the complainant were

recovered from his purse. Here is some lacuna even with respect to the evidence of demand. The Court has not found the recording of the incident in the tape recorder very trust worthy. The voice of the accused was not identified in the FIR version. In this regard paragraphs 11 to 16 are relevant which are reproduced hereunder:-

> "11/ रूपये की मांग के संबंध में आरोपी तथा फरियादी शंकरलाल (अ.सा.2) के बातचीत की टेप पेश की गई तथा इसका पंचनामा प्रदर्श पी/3 का भी पेश किया गया। इस संबंध में शंकरलाल, सिपाही शिवकुमार (अ.सा.6) तथा निरीक्षक श्री मसीह (अ.सा.7) ने बताया है कि श्री लोहानी के आदेश देने पर 31 जुलाई को टेप शंकरलाल को दी गई तथा शिवकुमार को साथ में भेजा गया कि वह बातचीत सुनकर उसके बाद टेप लेकर वापस आवेगा। शंकरलाल तथा शिवकुमार टेप लेकर गए, आरोपी की बातचीत रिकार्ड करना बताते हैं, यह टेप शिवकुमार ने अगले दिन सुबह साढ़े दस बजे लाकर श्री मसीह को दी। इस पर से श्री मसीह ने श्री लोहानी के सामने टेप को सुना और तब शंकरलाल की बात पर विश्वास करके साक्षी तलब किए गए और इस संबंध में कलेक्टर उज्जैन को प्रदर्श पी/13 का पत्र जारी किया गया। परन्तु आरोपी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि टेप बनावटी है और आवाज इसमें आरोपी की नहीं है। इस संबंध में न्यायालय में जब दिनांक 9—3—99 को टेप सुना गया तब आरोपी के लिये यह भी आपत्ति की गई कि टेप में कथित वार्ता में चार, पांच दिन में पैसे देने का उल्लेख है, जबकि प्रदर्श पी/3 के पंचनामे में एफ से एफ भाग में तीन चार रोज में पैसे देने का उल्लेख है। आरोपी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क है कि एक स्क्रीप्ट तैयार करके गाली सहित किसी व्यक्ति से बुलवा ली गई और वह पेश कर दी गई।
>
> 12/ इस संबंध में ''यूसुफअली इस्माईल नागरी विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य'' (1968 ए.आई.आर.एस.सी. 147) के न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं जिनमें कहा गया है कि टेप रिकार्डर में दर्ज बातचीत धारा—8 साक्ष्य विधान के तहत ''रेसगेस्टे'' के रूप में साक्ष्य में ग्रहण की जा सकती है। यदि रिकार्डिंग सही—सही की जाती है परन्तु रिकार्डिंग के समय, स्थान तथा रिकार्डिंग की सही प्रकिया सक्षम गवाह से सिद्ध की जाना चाहिए तथा टेप की गई आवाज उचित रूप से पहचानी जाना प्रमाणित होना चाहिए। चूंकि टेप चुम्बकीय आधार पर होने से इसमें की गई रिकार्डिंग मिटाई व पुनः अंकित की जा सकती है अतः इसके प्रभाव को सावधानी से ग्रहण करना चाहिए और न्यायालय को सन्देह से परे सन्तुष्ट होना चाहिए कि रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। इस सम्माननीय न्यायदृष्टांत के

प्रकाश में देखा जाये तो सर्वप्रथम सुनवाये गये टेप में आरोपी की कथित आवाज के तुरन्त बाद टेप पुनः चालू होने का संकेत आवाज में आता है तथा ''सेल खत्म हो गए फिर भी जो आ गया वह ठीक है'' के शब्द बहुत ही अस्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। तब जबकि शंकरलाल को मात्र आरोपी के साथ बातचीत रिकार्ड करना थी, तथा लोकायुक्त पुलिस स्थापना के कार्यालय में बातचीत की टेप को मात्र सुनना था तब ये शब्द बातचीत के अन्त में कब टेप किए गए और कैसे आ गए यह अभियोजन को बताना चाहिए था। अभियोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक श्री दुबे का तर्क है कि टेप पूर्व में भी प्रयुक्त की गई थी, अतः पूर्व की रिकार्डिंग का कोई बचा हुआ अंश उसमें आ सकता है। परन्तु यह तर्क अभियोजन की असावधानी को ही दर्शाता है। और उपरोक्त शब्द इस बात को दर्शित करते हैं आरोपी से कथित बातचीत की रिकार्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई।

13/ रिकार्डिंग के समय शंकरलाल, देवानंद (अ. सा.3) तथा सिपाही शिवकुमार का जाना कहा जाता है। जिसमें देवानंद ने लोकायुक्त पुलिस के कार्यालय में जाना, आवाज रिकाडिंग के लिए जाना और वापस ट्रेप वाले दिन जाना अस्वीकार कर दिया है। उसे विरोधी घोषित किया गया। परन्तु शंकर तथा शिवकुमार के कथनों में इस संबंध में काफी विरोधाभाष आ गया है। शंकर के अनुसार टेप हाथ के पंजे जितना बड़ा था फिर भी उसका कहना है कि टिकीट पॉकेट में वह टेप आ गया था। उसका कहना है कि टेप चालू करने का स्विच उपर था और बन्द करने का नीचे था जबकि शिवकुमार के अनुसार उसके कार्यालय में जो टेप है उसमें दोनों स्विच उपर हैं। शंकर के अनुसार आरोपी थाने के वहां मैदान में ही मिल गया था, उससे 5 मिनिट में बातचीत हुई और फिर टेप रिकार्डर उसने शिवकुमार को दे दिया। जबकि शिवकुमार के अनुसार शंकरलाल थाना महाकाल में अन्दर गया और करीब आधा घण्टे में लौटकर आया। तब यदि आरोपी शंकरलाल को बाहर ही मिल गया था तथा 5 मिनिट में शिवकुमार के पास वह बातचीत खत्म करके आ गया था तो शिवकुमार ने आधे घण्टे तक उसका थाने में होना क्यों बताया। शिवकुमार को अभियोजन कथा को स्वयं संदिग्ध बनाने का कोई कारण नहीं था। तब यह सारवान विरोधाभाष इस बात का सन्देह उत्पन्न करता है कि शंकरलाल ने टेप के साथ आधे घण्टे तक क्या किया ?

14/ श्री मसीह (अ.सा.7) अपने मुख्य चरण 2 की 6टी लाईन में यह कह गए कि जिस दिन टेप शंकर को दिया गया था, उसी दिन रात को फरियादी और आरक्षक टेप लेकर वापस आ गए हमें दिया और हमने सुना। जबकि प्रतिपरीक्षण में श्री मसीह टेप अगले दिन सिपाही द्वारा लाया जाना कहते हैं। टेप न्यायालय में पेश होने पर उसे सीलबंद अवस्था में बराबर कोषालय में रखा गया है, टेप

की प्रस्तुति के समय इसकी एक नकल बनवाकर आरोपी को दिलाई जाने का आदेश दिनांक 6–7–98 को माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ की दांडिक पुनरीक्षण 197/98 ''जुगराज श्रीवास विरूद्ध म.प्र. शासन'' में पारित आदेश दिनांक 10–2–98 के पालन में किया गया था तथा इसकी नकल दिनांक 20–7–98 को अभियोजन ने बनवाकर दी तथा असल से नकल का मिलान तस्दीक कर यह नकल आरोपी को दी गई। तथा इस नकल बनवाने के लिए दिनांक 20–7–98 को कैसेट सीलबंद अवस्था में कोषालय से बुलवाकर विशेष लोक अभियोजक को और उनके साथ उपस्थित निरीक्षक को दिलाई गई। आरोपी को दी गई नकल में भी वे वाक्य पाए जाते हैं जो निर्णय चरण–12 में बताये गए हैं। ऐसी अवस्था में जबकि टेप न्यायालय में जिस हालत में पेश किया गया, उसी हालत में अन्त तक रहा एवं है, में यदि इस प्रकार के वाक्य पाये जाते हैं तब निश्चित ही टेप के साथ कथित रिकार्डिंग के बाद गड़बड़ की जाना प्रतीत होता है जबकि वह अभियोजन की अभिरक्षा में थी।

15/ टेप की गई किसी व्यक्ति की आवाज पहचानी जाने के लिये दो प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है, पहली यह कि उस व्यक्ति की आवाज का सेम्पल टेप किया जाकर मिलान करवाया जाये और दूसरी यह कि टेप करने वाले के विश्वसनीय कथनों से यह माना जावे कि वह आवाज उसी व्यक्ति की थी। इस प्रकरण में आरोपी की मानक आवाज रिकार्ड करके मिलान करने का अभियोजन ने कोई प्रयास नहीं किया। जबकि सिपाही शिवकुमार का कहना है कि बातचीत उसके सामने नहीं हुई, ऐसी अवस्था में बातचीत आरोपी से होने की बात मात्र फरियादी शंकर कहता है। परन्तु वह आधे घ ण्टे तक क्या करता रहा जबकि आरोपी उसे थाने के बाहर मैदान में मिल गया था, इस बात को देखते हुए पुष्टि के अभाव में शंकर के कथन विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं।

16/ इस प्रकार प्रस्तुत की गई टेप में आवाज आरोपी की ही है, यह सन्देह से परे सिद्ध नहीं हो सका। अतः टेप का अभियोजन के पक्ष में कोई विशेष लाभ नहीं है। वैसे भी यह टेप शंकरलाल की सत्यता की परीक्षा के लिए अभियोजन ने चाहा था अतः इसके विफल हो जाने से भी बाकी प्रमाण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तथा बाकी प्रमाण को गुणदोषों पर देखना चाहिए। अभियोजन ने शंकरलाल (अ.सा.2), देवानंद (अ.सा.3), नायब तहसीलदार श्री बोथरा (अ.सा.9) को इस बात के लिए परीक्षित किया है कि जो नोट गवाहों के सामने शंकरलाल की जेब में फिनाफ्थलीन पावडर लगाकर रखे गए थे वे ही नोट आरोपी की जेब से निकले पर्स में पाए गए तथा आरोपी के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया जो फिनाफ्थलीन

की उपस्थिति को दर्शाता है अर्थात् वे नोट आरोपी के हाथों में से गुजरकर उसकी जेब में पहुंचे। ''सी.के. दामोरन नायर विरूद्ध भारत शासन'' {(1997(1) एस. सी.ए.एल.ई. पृष्ठ 126)} के न्यायदृष्टांत अभियोजन की ओर से पेश किए गए जिनमें कहा गया है कि दो स्वतंत्र साक्षी की अगर खण्डनीय साक्ष्य है कि आरोपी को पैसे लेते देखा तब यह माना जायेगा कि आरोपी ने रिश्वत स्वीकारी अतः जबरन पैसे रखने की बात उस न्यायदृष्टांत में सही नहीं मानी गई और तब धारा 4(1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की उपधारणा की गई। इस प्रकरण में भी विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि दो विज्ञप्त अधिकारी श्री शर्मा और श्री बोथरा के सामने आरोपी के पास से पर्स में से पैसे निकले और आरोपी के हाथ सोडियम कार्बोनेट में धुलवाने पर घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया तब मामूली विरोधाभाष यदि आ गया है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आरोपी ने पैसे प्राप्त किए हैं, अतः उसके विरूद्ध धारा 20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की उपधारणा करके आरोपी को दोषी मानना चाहिए।"

9. As regard the samples which were sent to FSL regarding using of sodium carbonate solution also, some discrepancies have been noticed by the trial Judge, inasmuch as admittedly at the time when the alleged rain was going on because of that notes were washed away with the water. Reference can be made to paragraphs 27 and 28 of the judgment which are reproduced hereunder:-

"27/ यहां विसंगति के संबंध में यह भी लिखना होगा कि न्यायालय के समक्ष जो मामला लाया गया, उसमें कई बातें छुपाई गईं तथा कई बातों की स्थिति को बदल दिया गया। उदाहरण के लिए विज्ञप्त अधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने कथन चरण–4 में बताया है कि दोपहर 3 बजे शंकर ने लौटकर बताया कि आरोपी नहीं है तो तो फिर आरोपी का घर महाकाल धर्मशाला के आसपास कहीं बताया गया और वहां जाने पर पड़ोसी ने बताया कि आरोपी इंदिरानगर गया है। यह बात इस साक्षी के केस डायरी कथन या किसी पंचनामें में नहीं है। इस साक्षी को अभियोजन ने इस बिन्दु पर विरोधी घोषित नहीं किया तब वह व्यक्ति जो शासकीय सेवक है इस प्रकार की बात अन्दाज से कैसे कहेगा। स्पष्ट है कि आरोपी को खोजने उसके घर जाने और इंदिरा नगर गये होने की बात छिपाने का प्रयास किया गया। श्री मसीह के अनुसार जीप में 6 सिपाही, 2 विज्ञप्त अधिकारी, 2 निरीक्षक, शंकरलाल और देवानंद थे। इस प्रकार चालक सहित 13 लोग जीप में 6 घण्टे

तक घुसे बैठे रहे। क्या यह स्वाभाविक बात है ? इसी प्रकार जीप कहां खड़ी की गई थी इस बारे में भी सारवान विरोधाभास है। शंकर के अनुसार जीप जच्चाखाने के मैदान में खड़ी की गई थी जो कि थाने से काफी दूर है। विज्ञप्त अधिकारियों के अनुसार जीप महाकाल मंदिर के वहां जहां फूल बेचे जाते हैं वहां खड़ी की गई थी जबकि श्री मसीह के अनुसार जीप थाने से 50 कदम दूर खड़ी थी और थाने में उपर जो एक बत्ती जल रही है, उसके प्रकाश में आरोपी को मोटर सायकल से आते देख लिया तथा फरियादी का इशारा भी वहीं से देख लिया गया। जबकि इस संबंध में श्री बोथरा ने कथन चरण–7 में बताया कि आरोपी को थाने जाते हुये उन्होंने नहीं देखा क्योंकि जहां जीप खड़ी थी वहां से थाने का गेट नहीं दिखता है, उन्हें तो सिपाही बुलाने आया तब वे गए और उस समय तक बोडाना जोर–जोर से विरोध कर रहा था।

28/ तब इन गवाहों के कथनों का विरोधाभाष दो बातों को दर्शाता है कि या तो श्री मसीह झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने आरोपी को आते देखा या फरियादी को इशारा करते देखा अथवा श्री मसीह सिपाहियों के साथ विज्ञप्त अधिकारियों से पहले चले गए और नोटों का पर्स फिर से फिनाफ्थलीन लगवाकर रखवाया या किसी प्रकार से कोई ट्रेप की पवित्रता में होशियारी की। सबसे महत्वपूर्ण बात जो विज्ञप्त अधिकारियों ने बताई सह यह है कि देवानंद उस दिन उन्हें कहीं नहीं दिखा। तब ट्रेप के समय देवानंद साथ था यह बात जो शंकरलाल और श्री मसीह कहते हैं वह अपने आप असत्य हो जाती है। शंकरलाल ने तो यह बताया कि देवानंद उनके साथ जीप में गया जबकि उसके केस डायरी कथन प्रदर्श डी/1 में यह लिखा है कि देवानंद टेम्पो से अलग गया। किसी व्यक्ति को यदि ट्रेप का ज्ञान है तो क्या निरीक्षक श्री मसीह उसे ट्रेप पार्टी के साथ न ले जाने पर टेम्पो से अकेला जाने देते। देवानंद के विरोधी होने पर अभियोजन के ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि देवानंद आटो रिक्शा का मालिक है जिसे उसी इलाके में आटो चलाना है, इसलिए आरोपी या उसके सहकर्मी पुलिस अधिकारियों के भय से वह विरोधी हो गया है, परन्तु श्री बोथरा तथा श्री शर्मा के कथनों से स्पष्ट है कि दिनांक 1–8–97 को उन्होंने देवानंद को नहीं देखा तब जैसा कि उपर कहा जा चुका है कि ट्रेप की जानकारी होने पर देवानंद को अलग जाने के लिए अवसर नहीं दिया जाना था। तब ऐसी अवस्था में देवानंद के कथन सही प्रतीत होते हैं कि वह ट्रेप में शामिल नहीं था।"

10. The very fact that the complainant allegedly visited the house of the accused thrice right from 10 A.M. to 5 P.M. itself caused doubt on the story of the prosecution. There are also discrepancies in the

seizure of the money as noticed by the trial Judge in para 29 and 30 of the judgment which are reproduced hereunder:

> "29/ इसी प्रकार पैसे की जप्ती के संबंध में भी गवाहों के कथनों में सारवान विरोधाभाष है। श्री अवधेश शर्मा आरोपी के पेंट की दांयी जेब से पर्स निकलना कहते हैं जिसमें रूपये 200 के अलावा और भी नोट थे। जबकि श्री बोथरा कथन चरण–8 में पेंट की पीछे की जेब से पर्स निकलना कहते हैं। श्री मसीह तथा शंकर आरोपी की वर्दी की जेब से पर्स निकलना कहते हैं तथा श्री मसीह के कथन चरण–14 में जब इस बारे में पूछताछ की गई तो यह पाया गया कि उन्होंने अपने केस डायरी कथन प्रदर्श डी/3 में वर्दी से अपना तात्पर्य स्पष्ट किया है। प्रदर्श डी/3 में ए से ए लिखा है कि उसकी वर्दी की कमीज की दांयी जेब से पर्स निकला। श्री मसीह के चरण 20 में इस बिन्दु पर जब प्रश्न पूछे जा रहे थे तब विशेष लोक अभियोजक ने आपत्ति की थी कि वर्दी से तात्पर्य पूरी वर्दी से है परन्तु घटना के तुरन्त बाद श्री मसीह ने केस डायरी कथनों में वर्दी की जेब में से अर्थात कमीज में से पर्स निकलना बताया है तब प्रदर्श पी/5 में वर्दी से उनका तात्पर्य कमीज से माना जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में वास्तव में पर्स कहां से निकला, यह स्थिति संदिग्ध हो जाती है। श्री मसीह के अनुसार कमीज की दांयी जेब से पर्स निकला, श्री शर्मा के अनुसार पेंट की दांयी जेब से पर्स निकला, तथा श्री बोथरा के अनुसार पेंट की पीछे की जेब से पर्स निकला। तब यह विरोधाभाष से यह शंका होने लगती है कि श्री बोथरा तथा श्री शर्मा जब तक आरोपी के पास पहुंचे तब तक पर्स निकाला जा चुका था और वह आरोपी के पास से ही निकला, ऐसा उन्होंने मान लिया अन्यथा इन लोगों के सामने कुल एक ट्रेप बयान देने तक हुई, तब एक ही ट्रेप की बात को भूल जाना स्वाभाविक नहीं है।
>
> 30/ इसके अलावा श्री बोथरा तथा श्री शर्मा आरोपी के पर्स में से और भी पैसे निकलना कहते हैं परन्तु इनकी बात की पुष्टि प्रदर्श पी/5 के पंचनामे से नहीं होती। प्रदर्श पी/5 का पंचनामा रात्रि 9 बजकर 15 मिनट पर बनाया गया जिसकी कंडिका 4 में मात्र 200 रूपये के नोट पर्स में से निकलना बताये गये हैं, जबकि इसके बाद प्र.पी.6 का जप्ती पत्र रात 10.30 बजे बनाया गया उसमें श्री मसीह ने स्पष्ट लिखा है कि गिरफ्तारी के समय जामा तलाशी में आरोपी से रूपये 590/– मिले। तब यह रकम पर्स में से निकली थी तो इसका उल्लेख प्रदर्श पी/5 में क्यों नहीं है, इसे प्रदर्श पी/5 की जप्ती के एक घण्टे बाद जामा तलाशी में आरोपी के कपड़ों में से निकलना बताया गया है, जबकि पर्स तो पहले ही निकालकर जप्त हो चुका था। तब रूपये 590 पन्ट्री नोटों के साथ पर्स में से निकलना नहीं माना जा सकता है और

यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो फिर प्र.पी. 5 और प्र.पी.10 में अनुसंधान अधिकारी ने इस स्थिति को छिपाने का प्रयास किया।"

11. There was also non-compliance of Section 157 of the CPC in sending the FIR immediately to the Magistrate concerned. In this regard, the trial Court has taken note of the violation in para 31 and 32 of the judgment which reads as under:-

"31/ आरोपी की ओर से इस प्रकरण में यह भी आपत्ति ली गई कि अभियोजन ने दं.प्र.सं. का पालन नहीं किया है। प्रथम सूचना की नकल (प्रतिपर्ण) इस न्यायालय को प्रदर्श पी/14–ए का भिजवाया गया है जो डॉक से दिनांक 5–8–97 को प्राप्त हुआ है जबकि प्रदर्श पी/14 दिनांक 1–8–97 को 11 बजे लिख ली गई है। श्री दुबे विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि उनके यहां से पूरा मामला कायमी के लिए विशेष पुलिस स्थापना भोपाल को जाता है, वहां से जो कायमी होती है उसका प्रतिपर्ण भोपाल विशेष स्थापना से सीधे विशेष न्यायालय आता है अतः इस देरी के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं तथा अनुसंधान अधिकारी भी उत्तरदायी नहीं है। परन्तु यह तर्क विधिसम्मत नहीं है, कोई भी अनुसंधान अधिकारी अपनी मर्जी के अनुसार नियम नहीं बना सकता है। धारा 157 दं.प्र.सं. के अनुसार प्रथमसूचना का प्रतिपर्ण संबंधित दण्डाधिकारी (इस मामले में यह विशेष न्यायालय) को शीघ्रातिशीघ्र भेजना चाहिए। तब ऐसी अवस्था में प्रथमसूचना वह थी जिससे कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिले। इस प्रकरण में शंकरलाल ने मांग की जो सूचना विशेष पुलिस स्थापना, उज्जैन को दी उससे रिश्वत की मांग के संज्ञेय अपराध की सूचना विशेष पुलिस स्थापना उज्जैन को मिल गई थी, अतएव वह प्रथमसूचना है। तर्क के लिये मान लें कि प्रदर्श पी/2 की शिकायत पत्र मिलते से भेज दी जाती तो न्यायालय के कर्मचारियों से या सूचना की प्रतिपर्ण न्यायालय में भेजने में वाहक की त्रुटि से इसकी जानकारी संबंधित लोकसेवक को लग सकती थी और ट्रेप असफल हो जाता, तब कम से कम ट्रेप सफल होते से शीघ्रातिशीघ्र प्रथमसूचना का प्रतिपण्र इस न्यायालय को भेजा जाना चाहिए था। ऐसी अवस्था में विशेष स्थापना भोपाल क्या करती है, इसके नाम पर प्रकियाजन्य विधि अनुसंधान अधिकारी अपनी मन की स्थापित नहीं कर सकते।

32 इस संबंध में "ईश्वरसिंह विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य" (ए.आई.आर.1976 एस.सी.2423) के न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं जिनमें कहा गया है कि प्रथम सूचना की नकल (प्रतिपर्ण) संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी को भेजने के पीछे यह मन्तव्य है कि प्रथमसूचना बाद में पिछले

समय की नहीं लिख ली जावे अथवा प्रथमसूचना बदल न दी जावे, अतः पहली बार प्रथमसूचना जैसी भी लिखी गई है वैसी ही भेजी जानी चाहिए। उस मामले में प्रथमसूचना दो दिन की देरी से भेजे जाने के कारण तथा इस देरी का स्पष्टीकरण न होने से पूरे मामले को संदिग्ध माना गया। इस प्रकरण में प्रथमसूचना चार दिन की देरी से भेजी गई है और तीन पृष्ठ की प्रथमसूचना के स्थान पर प्रथमसूचना का मुख्य पृष्ठ तथा अन्तिम पृष्ठ भेजा गया है जिसमें घटना के विवरण का कोई उल्लेख होना प्रतीत नहीं होता है, तब तो प्रतिपर्ण भेजा गया है उससे प्रथमसूचना का पता नहीं नहीं चलता है, अतः उसे अनुसंधान अधिकारी अपनी मर्जी से बदल सकता है। इस प्रकार इस प्रकरण में अभियोजन धारा 157 दण्ड प्रकिया संहिता का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहा है जिससे कि उसका मामला संदिग्ध हो जाता है।"

12. The conduct of the complainant has also been noticed by the trial Court and it has been observed that Shankarlal had malice to implicate the accused. Reference can be made to para 39 of the judgment which reads as under:-

"39/ एक बात अवश्य आरोपी अभिभाषक की मानने योग्य है कि शंकरलाल किसी प्रकार से आरोपी को फंसाने में या उसके खिलाफ कार्यवाही में हित रखता था क्योंकि देवानंद की अनिच्छा इस ट्रेप के लिए साफ नजर आती है, क्योंकि उसकी दिनांक 1–8–97 की अनुपस्थिति विज्ञप्त अधिकारियों ने प्रमाणित की है। शंकरलाल देवानंद के साथ दिनांक 31–7–97 को श्री लोहानी के पास जाना कहता है परन्तु प्रथमसूचना प्रदर्श पी/2 में उसका आना या उसको कष्ट होना नहीं लिखा है। प्रदर्श पी/2 में देवानंद के साथ शंकरलाल ने अपना थाने जाना लिखाया है और उस समय आरोपी के द्वारा सुपुर्दगी का आदेश रख लिया जाना उसने बताया है परन्तु न्यायालय के अपने कथनों में शंकरलाल ने यह बताया है कि आदेश उसके पास से नहीं लिया गया बल्कि जब देवानंद गया था तब आदेश दे आया था। शंकरलाल ने अपने कथनों में बताया है कि जब वह आवेदन लिखाने गया तो शंकरलाल जो कि एक गरीब ड्राइवर है, के पास एक भी पैसा नहीं था। परन्तु उसने एक बाबूजी से कागज और कार्बन मांगे और एक सज्जन से आवेदन लिखवाया जिन्होंने प्रदर्श पी/2 पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त विशेष स्थापना का पता अपनी मर्जी से सही–सही लिख दिया। परन्तु यदि उस समय शंकरलाल के साथ देवानंद था तो क्या देवानंद के पास पैसे नहीं थे जो शंकर को कागज और कार्बन दिलवा देता। आखिर देवानंद तो रिक्शा मालिक होकर सेठ

था। प्रदर्श पी/2 पर देवानंद के कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके बाद टेप रिकार्डर देने का कोई पंचनामा नहीं है तब शंकरलाल श्री मसीह और सिपाही शिवकुमार के मौखिक कथनों के अलावा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि दिनांक 31–7–97 को देवानंद विशेष पुलिस स्थापना के कार्यालय में गया था।"

13. The trial Court has further observed that in the circumstances of this case and finding lacuna in the glass bottles sent to CFL which were having questionable seals as mentioned in para 42 of the judgment. There was necessity to have independent witness which is an element missing in this case. The trial Court has discussed the evidence of the witnesses which came on record to highlight the omission and commission. Paragraph 44 of the judgment is reproduced hereunder:

"44/ वस्तुतः नोटों की जप्ती के बारे में प्राथमिक तौर से तो विज्ञप्त अधिकारी पुष्टि करते नजर आते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। श्री मसीह तथा श्री बोथरा के कथनों से स्पष्ट है कि श्री बोथरा ने न तो आरोपी को थाने में आते देखा, न शंकर का इशारा देखा, जबकि मसीह ने यह देखा और इसी के आधार पर यह पता चलता है कि वह पहले आरोपी के कमरे में चले गये थे। नोट बारिश में भींग जाने से फिनाफ्थलीन पावडर पानी में घुल जाने के बाद ऐसे नोट किसी दूसरे के हाथ में जाने पर फिनाफ्थलीन का असर दिख सकता था, यह तथ्य भी संदिग्ध है। तब हाथ धुलाने की कार्यवाही के परिणाम जिनकी पुष्टि ये विज्ञप्त अधिकारी कर रहे हैं, अनुसंधान अधिकारी या साथ गए पुलिस कर्मियों के किसी चाल के कारण भी सकते हैं। यह बात अत्यधिक अस्वाभाविक है कि शंकर के द्वारा दिए गये गीले नोट आरोपी अपने पर्स के सूखे नोटों के साथ रख लेगा। पर्स और पन्ट्री नोट प्रदर्श पी/5 के द्वारा जप्त बताये गये हैं जबकि अन्य नोट गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी/10 के अनुसार रात्रि 10.50 बजे आरोपी की जामा तलाशी में मिले हैं। तब कोई व्यक्ति पर्स होते हुए अपने बाकी पैसे अलग से क्यों रखेगा। यदि बाकी पैसे पर्स में से निकले थे तो प्रदर्श पी/5 में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। पर्स श्री शर्मा आरोपी की पेंट की दांयी जेब

> से निकलना कहते हैं तो श्री बोथरा पीछे की जेब से तथा श्री मसीह ने प्रदर्श पी/5 में वर्दी की दांयी जेब से निकलना बताया है जिसका स्पष्टीकरण प्रदर्श डी/3 में उन्होंने वर्दी से तात्पर्य कमीज से होना बताया है। तब कहने का तात्पर्य यह है कि इन गवाहों के कथनों में इतना विरोधाभाष है कि जो सारवार स्वरूप का है जिसके कारण इनके कथन विश्वसनीय नहीं माने जा सकते।"

14. There are also discrepancies about the demand. Reference in this regard is made to para 47 of the judgment which reads as under:

> "47/ जहां तक मांग का प्रश्न है, यदि आरोपी के पास से रूपये मिलना अर्थात उसके द्वारा रिश्वत ली जानी सिद्ध होता तो मांग के संबंध में यह परिस्थितिजन्य प्रमाण होता। मांग के संबंध में जैसा कि उपर कहा गया है कि शंकरलाल मांग के आधार बदल रहा है। सुपुर्दगीनामा आदेश मिल चुकने के बाद सरकारी वकील के लिए पैसे मांगने का प्रश्न ही नहीं था, और मेकेनिकल जांच के लिए पैसे मांगने जाने का उल्लेख प्रदर्श पी/2 में नहीं है। रिक्शा देवानंद का था जिसने इस मांग का समर्थन नहीं किया है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष उनके आदेश का पालन न किए जाने के लिए आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती थी। आरोपी ने वाहन की मेकेनिकल जांच कराई थी या नहीं, इस संबंध में टेप रिकार्डर की साक्ष्य विफल है तब उचित पुष्टि के अभाव में इस संबंध में शंकरलाल पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आरोपी द्वारा रूपये 200 मांगने की या रूपये 500 मांगने की बात भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होती है।"

15. Considering all these aspects, the trial Court found that in this case, the case of the prosecution was not proved beyond reasonable doubt and thus acquitted the accused/respondent. Having gone through the record of the case and after hearing the learned counsel for the appellant/Lokayukta, we are satisfied that in this case, the view taken to fasten the liability upon the respondent cannot be taken in the facts and circumstances of this case.

16. Thus, we do not find it a fit case where the appeal filed by the appellant should be allowed. Consequently, the appeal filed by the appellant is dismissed.

C.C.as per rules.

**(S.K.SETH)**
**JUDGE**

**(M.C.GARG)**
**JUDGE**

RJ/